

गणतंत्र दविस के अवसर पर कैदियों को मल्लेगी तीन महीने तक की छूट

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को हरयिणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सहि ने बताया कशिज्य सरकार ने गणतंत्र दविस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को वशिष छूट दी है ।

प्रमुख बदि

- ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सहि ने बताया कशिजि अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जनि अपराधियों को पाँच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी । इसी प्रकार, जनि अपराधियों को पाँच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी ।
- उन्होंने बताया कशि गणतंत्र दविस (26 जनवरी, 2023) पर कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशरते वे अपने नरिधारति समय पर संबंधति कारागार में आत्मसमर्पण कर देते हैं । उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में उन्हें यह छूट दी जाएगी ।
- रणजीत सहि ने बताया कशिजि अपराधियों पर जुरमाना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी और जनि अपराधियों को हरयिणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हरयिणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा । जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी ।
- उन्होंने बताया कशि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरसिट एंड डसिरेप्टवि एकटविटिज (प्रीवेशन) अधनियिम-1967, कार्यालय गोपनीय अधनियिम-1923, वदिशी अधनियिम-1948, पासपोर्ट अधनियिम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधनियिम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दंड संहति 1860 की धारा 121 से 130, फरिती के लयि कडिनैपगि, पोक्सो अधनियिम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एकट के अंतरगत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी ।
- जेल मंत्री ने बताया कशिपाकस्तान नेशनल, अपराध दंड संहति 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांतबिनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यकति, पछिले दो वर्षों के दौरान कशि भी बड़े जेल अपराध में संलपित अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरयिणा जेल नयिम-2022 या उस दिन लागू कशि अन्य अधनियिम या नयिमों के तहत कोई छूट नहीं मल्लेगी ।